

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-52/2020-21

छोटानागापुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

सुकरमनी देवी बनाम प्रमिला सेठ

21.10.20

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

सुकरमनी देवी पति-श्री मुन्नी सेठ,
ग्राम-टांगारटोली बुण्डू, पो०-बुण्डू, थाना-बुण्डू,
जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-धोबी (अनुसूचित
जाति), पेशा-गृहणी खेतीबारी।

क्रेता का नाम एवं पता -

प्रमिला सेठ पति-श्री कृष्ण कुमार सेठ,
ग्राम-सारजमडीह, पो०-सारजमडीह, थाना-तमाड़,
जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-धोबी (अनुसूचित
जाति) पेशा-गृहणी खेतीबारी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री आनन्द राम महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-21/09/2020 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता प्रमिला सेठ पति-श्री कृष्ण कुमार सेठ, ग्राम-सारजमडीह, पो०-सारजमडीह, थाना-तमाड़, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-धोबी (अनुसूचित जाति) पेशा-गृहणी खेतीबारी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
बुण्डू	बुण्डू/28	32	5216	10 डी० <u>चौहद्दी:-</u> उ०-नवीन कुमार साहु। द०-प्रस्तावित रास्ता। पू०-दिलीप कुमार महतो। प०-रंगों देवी।

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बुण्डू से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, बुण्डू का पत्रांक-553 दिनांक-03/10/2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

- (1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत कार्तिक कुम्हार वगैरह के नाम से दर्ज है।
- (2) विक्रेता स्वयम पंजी-II रैयत है।
- (3) पंजी-II के अनुसार रैयत का नाम सुकरमनी देवी पति-मुन्नी सेठ है। तथा रैयत के पास प्रस्तावित प्लॉट में रकबा-060 डी० खरीदगी भूमि है।
- (4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2012-13 तक वसूली गयी है।
- (5) विक्रेता स्वयम जमाबंदी रैयत है। तथा खरीदगी भूमि के आधार जमाबंदी कायम है।
- (6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन टाइ II रैयती किस्म की है।
- (7) प्रस्तावित जमीन विक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास प्रस्तावित प्लॉट में रकबा-0.50 डी० भूमि शेष रह जाएगा। तथा विक्री पश्चात विक्रेता के पास मौजा तिसरो एवं बुन्दुडीह में पर्याप्त भूमि है।
- (8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को परिवारिक खर्च हेतु बिक्री कर रही है।
- (9) क्रेता एवं विक्रेता दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य है।
- (10) क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही जिला राँची के है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, बुण्डू ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत विक्रेता सुकरमनी देवी पति-श्री मुन्नी सेठ, ग्राम-टांगारटोली बुण्डू, पो०-बुण्डू, थाना-बुण्डू, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-धोबी (अनुसूचित जाति), पेशा-गृहणी खेतीबारी, को क्रेता प्रमिला सेठ पति-श्री कृष्ण कुमार सेठ, ग्राम-सारजमडीह, पो०-सारजमडीह, थाना-तमाड़, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-धोबी (अनुसूचित जाति) पेशा-गृहणी खेतीबारी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक-21/09/2020 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, बुण्डू के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता सुकरमनी देवी पति-श्री मुन्नी सेठ, ग्राम-टांगारटोली बुण्डू, पो०-बुण्डू, थाना-बुण्डू, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-धोबी (अनुसूचित जाति), पेशा-गृहणी खेतीबारी,

को क्रेता प्रमिला सेठ पति-श्री कृष्ण कुमार सेठ, ग्राम-सारजमडीह, पो०-सारजमडीह, थाना-तमाड़, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-धोबी (अनुसूचित जाति) पेशा-गृहणी खेतीबारी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)b के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
बुन्दू	बुन्दू/28	32	5216	10 डी० चौहद्दी:- उ०-नवीन कुमार साहु। द०-प्रस्तावित रास्ता। पू०-दिलीप कुमार महतो। प०-रंगों देवी।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहत्ता।

बुण्डू।

भूमि सुधार उप समाहत्ता।

बुण्डू।